प्रकरण संख्या–07/2018 तारीख रजु–01.02.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

रूपसिंह पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी मॉची (माढई) तहसील व जिला करौली
– अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.11.2017 न्यायालय तहसीलदार करौली मु.नं. 43/17 उनवानी सरकार बनाम रूपसिंह अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक–19.06.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोडेन्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91(3) एल.आर.एक्ट के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं करायी है। तामील सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करायी गयी है। तामील रामवीर पुत्र गणेश पर करायी गयी होना बताया है जबकि रामवीर अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, फैमेली मैम्बर नहीं है अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की पत्नि व अपीलाण्ट के बच्चों पर कोई तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करायी गयी है और रामवीर जो अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है उसको दी गयी तामील को विधिवत् तामील मानते हुए प्रकरण में विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर जैर अपील निर्णय एकपक्षीय विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया है जो विधि सम्मत् नहीं है, विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 1127 रकबा 10 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पहाड़ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है भूमि मौके पर खाली है। अपीलाण्ट इस बाबत न्यायालय श्रीमान में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। जैर अपील निर्णय दिनांक 24.11.2017 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 24.01.2018 को पुलिस थाना करौली के कांस्टेबल द्वारा अपीलाण्ट के घर वारण्ट गिरफ्तारी लेकर आने पर अपीलाण्ट के घर पर नहीं होने से अपीलाण्ट की पत्नि से कांस्टेबल द्वारा न्यायालय तहसीलदार करौली से दो गिरफ्तारी वारण्ट होने की कहने पर एवं अपीलाण्ट के शाम को घर पर पहुंचने पर अपीलाण्ट की

जिला कलक्टर
करौली

पत्नि द्वारा अपीलाण्ट से तहसीलदार करौली के यहां से पुलिस थाना करौली से दो वारण्ट होने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.01.2018 को तहसील कार्यालय जाकर मालूम करवाने पर एवं नकल आवेदन कर नकल निर्णय दिनांक 24.11.2017 प्राप्त होने पर हुयी है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी व ज्ञान नही रहा है दिनांक 24.11.2017 से दिनांक 24.01.2018 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोडेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91(3) एल.आर.एक्ट के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं करायी है। तामील सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करायी गयी है। तामील रामवीर पुत्र गणेश पर करायी गयी होना बताया है जबकि रामवीर अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, फैमेली मैम्बर नही है, अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की पत्नि व अपीलाण्ट के बच्चों पर कोई तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करायी गयी है और रामवीर जो अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है, उसको दी गयी तामील को विधिवत् तामील मानते हुए प्रकरण में अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 1127 रकबा 10 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पहाड पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है भूमि मौके पर खाली है। अपीलाण्ट इस बाबत अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आराजी खसरा नम्बर 1127 रकबा 10 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड बाके ग्राम बिरबास पटवार हल्का मांची तहसील करौली पर से अपना कब्जा हटा लिया है एवं भूमि मौके पर खाली है। अपीलाण्ट भविष्य में कभी भी उक्त भूमि या किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व कब्जा नहीं करेगा। न्यायहित में अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही धारा 91 एल.आर.एक्ट समाप्त किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि निर्णय नियमानुसार एवं विधिवत् अपीलाण्ट के भाई पर तामील करवाकर पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक रीडर/2018/635 दिनांक 08.05.18 से अवगत कराया है कि पटवारी मांची द्वारा दिनांक 08.05.18 को मौका देखा गया जिसमें खसरा नं. 1127 रकबा 10 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पहाड बाके ग्राम बिरबास पटवार हल्का मांची पर अतिक्रमी श्री रूपसिंह पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी माढ़ई द्वारा दुकान एवं होटल का निर्माण कर होटल संचालित है। मौके पर आज भी अतिक्रमण नहीं हटाया है तथा उक्त खसरा नंबर पर बनी दुकान पर रूपसिंह दुकानदारी करते हैं।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1127 रकबा 10 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पहाड पर अपना अतिक्रमण हटा लेने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार करौली द्वारा अतिक्रमी अपीलाण्ट द्वारा कब्जा नहीं हटाने एवं दुकान तथा होटल निर्माण कर दुकानदारी करना बताया है। अतः निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय को यथावत् रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय दिनांक 24.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली